सूचना का अधिकार

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

7 सरदार पटेल मार्ग पटना-15

पत्रांक................ **पटना, दिनांक ..../2019**

प्रेषक,

असलम महमूद
लोक सूचना पदाधिकारी (मु0)
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
कार्य अंचल-2, पटना
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0।

विषय:- **सूचना का अधिकार के तहत श्री अखिलेश, पटना के आवेदन से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्री अखिलेश, पटना के आवेदन जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16.10.2019 को प्राप्त हुआ है, कि छायाप्रति आपको सूचना देने हेतु प्रेषित की जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के अधीन आपसे यह सूचना देने के लिए अनुरोध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (5) के अधीन सूचना गलत देने और विलम्ब की जिम्मेवारी आपकी होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदन से संबंधित सूचना आवश्यक शुल्क लेकर आवेदक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
(असलम महमूद)
लोक सूचना पदाधिकारी (मु0)
मो0-8544419026

ज्ञापांक ......3617 (मु) **पटना, दिनांक ...16.10...../2019**

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:-यथोक्त।

16-10-19

(असलम महमूद)
लोक सूचना पदाधिकारी (मु0)

AKHILESH, M.B.A.

Editor, Tarunmitra, Rastriya Hindi Dainik,
Editor-in -Chief, Democratic Mission. Hindi ...
Sec.Gen., Northern India Editors Guilds
R.D. Crime Reporter,
& C0-Prod. CNC, Doordarshan.
Sec.Gen. MBA Assn. of BIhar.
Sec.Gen., Biharies Development Council

Ujala Complex,
Dakbanglow Road,
PATNA- 80 00 01.
Call: 0612-2204827.
Telefax: 2205733.
RTM: 7334040785
e-mail: akhilesher@yahoo.co...
web:democraticmission.com

119

Ref: 219/ak.Sept..Dtd.: 25/09/2019

15 OCT 2019
4906

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
बिरापुनिनिलि, कार्य ...
दरभंगा। / ...

विषय: आपके पत्रांक Doc No;BRPNNL/DBG/C0/519 दिनांक 27/06/19 द्वारा मांगी गयी सूचना देने के एवज में 500 रू. की मांग एवं अधिनियम के धाराओं के अनुरूप आवेदक को किसी भी इलेक्ट्रोनिक फार्म में सूचना देने का निदेश देने के संबंध में।

प्रसंग: सूचना अधिकार अधिनियम 2005

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदन पत्र का अवलोकन करें। जिसमें कुल 25 पेज से ज्यादा सूचना होने पर विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फार्म में सूचना उपलब्ध कराने की मांग की गयी है। विवि द्वारा यह बेमानी पैसे की मांग सूचना अधिकार के आवेदकों को डराने का प्रयास मात्र प्रतित होता है। ऐसी ही बड़ी बड़ी राशि की मांग कर आवेदकों को डराने का काम आपके संस्थान द्वारा सूचना छूपाने की नियत से किया जा रहा है। इसका संज्ञान लें, भ्रष्टाचार के मामलों में तो कतई ऐसा ना करें क्योंकि अपराध को संरक्षण देना, छुपाना भी अपराध है। मेरे मीडिया संस्थान के कई आवेदनों को इसी प्रकार बाधित करने का कुप्रयास किया गया है। क्या निगम द्वारा 30 दिनों के अन्दर आवेदक को इस 500 रू. की मांग की गयी है? आप तत्काल 500 पेज में क्या क्या देना चाहते हैं इसका विवरण बना कर देने का कष्ट करें या जो आवेदन में सूचना मांगी गयी है उसकी स्वंय समिक्षा करके समय सीमा में जवाबी फॉरमेंट में भेजने का निदेश देने का कष्ट करें। सूचना किसी भी फॉरमेट में दिया जा सकता है

धन्यवाद!

(अखिलेश)